# श्रीमान न्याय निर्णयन अद्यिकारी
# एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, प्रथम जोधपुर

एफ.एस0 प्रकरण संख्या 02/2017

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर

बनाम

1 .श्री मीठालाल जैन पुत्र श्री पुखराज जैन उम्र 50 वर्ष **(एफबीओ/मालिक)** फर्म–मैसर्स–छोगालाल पन्नालाल जैन, मैन बस स्टेण्ड, यूको बैंक के पास, गांव आगोलाई, तह0 बालेसर जिला जोधपुर । निवासी– जैन मोहल्ला, आगोलाई तह0 बालेसर जिला जोधपुर ।

2. श्री राकेश कुमार जैन पुत्र श्री केवल चन्द जैन**(निर्माता/मालिक)** फर्म–मैसर्स– महावीर मार्केटिंग, 309, प्रथम तल, लक्ष्मी नगर, पावटा बी रोड, राजकीय स्कूल के पास, जोधपुर । निवासी–309,लक्ष्मी नगर, पावटा बी रोड, राजकीय स्कूल के पास, जोधपुर ।

उपस्थिति

1. प्रार्थी की ओर से विभागीय पैरोकार
2. अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से श्री गिरधारी लाल वैष्णव

निर्णय

दिनांक ...............................

प्रार्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधी ने उपस्थित होकर यह परिवाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधि0 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(पप) एंव धारा 52 के तहत पेश कर निवेदन किया किः–

आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) एंव निदेशक(जन स्वा0) चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवाये राजस्थान जयपुर द्वारा जरियें राजस्थान राज–पत्र अधिसूचना दिनांक 31.07. 2011 खाद्य सुरक्षा अद्यिकारी अधिसुचित किया है जिसमें क्रम संख्या 57 पर उनका नाम अंकित है। (सत्यापित छायाप्रति संलग्न है)।

उन्हें आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) एंव निदेशक(जन स्वा0) चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवाये राजस्थान जयपुर द्वारा जरियें राजस्थान राज–पत्र अधिसूचना दिनांक

18.08.2011 के द्वारा कार्य क्षेत्र अधिसूचित किया गया जिसके अनुसार समस्त जिला जोधपुर उनका कार्य क्षैत्र है । (सत्यापित छायाप्रति संलग्न है)।

दिनांक **13.08.2016** को 06:00 पी.एम. मैं संदीप अग्रवाल बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी गश्त चैंकिग, फर्म–मैसर्स– छोगालाल पन्नालाल जैन, मैन बस स्टेण्ड, यूको बैंक के पास, गांव आगोलाई, तह0 बालेसर जिला जोधपुर पर पहुंचा व अपना परिचय दिया, परिचय पत्र दिखाया, इस समय संस्थान पर विक्रेता एंव मालिक की हैसियत से श्री मीठालाल जैन पुत्र श्री पुखराज जैन उम्र 50 वर्ष, निवासी–जैन मोहल्ला, आगोलाई तह0 बालेसर जिला जोधपुर उपस्थित मिले एवं आम जनता को उपयोग हेतु किराणा सामान एंव **हल्दी पाउडर(सहज)** आदी का विक्रय कर रहे थे व कब्जे मे रखे पाये गये । मालिक/विक्रेता से वर्ष 2016 का खाद्य अनुज्ञा पत्र मांगा, इन्होने एफएसएसआई अनुज्ञा पत्र 22214005000464,पहचान पत्र मीठालाल जैन पेश किया। जो सलग्न परिवाद है। दुकान का निरीक्षण करने पर **हल्दी पाउडर(सहज)** के 500ग्राम के 16 पैकट्स आम जनता हेतु विक्रय हेतु रखे हुऐ थे । इसका निरीक्षण करने पर मिलावट/अमानक/मिथ्याछाप स्तर का शक होने पर इसकी जांच एफ एस एस एक्ट के तहत कराने के लिये रूबरू गवाह श्री कुशालचन्द जैन पुत्र श्री लालचन्द जैन निवासी–जैंन मन्दिर के पासा आगोलाई जिला जोधपुर एंव मेरे साथ गये श्री विजयकांत गौतम, खाद्य संरक्षा अधिकारी कार्यालय संयुक्त निदेशक चि0एंव स्वा0 सेवाये जोन जोधपुर के सामने विक्रेता को प्रपत्र 5ए भरकर दिया। प्रपत्र 5ए पर रसीद प्राप्त की। प्रपत्र 5ए देने से पहले विक्रेता व गवाह को यह बता दिया कि यह नमूना खाद्य पदार्थ **हल्दी पाउडर(सहज)** वास्ते जांच एफ एस एस एक्ट के तहत खरीद कर रहा हूॅ । प्रपत्र 5ए पर मेरे, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर है । जो सलग्न है ।

रूबरू गवाह के सामने विक्रेता को **रूपये 250/–** नगद देकर **हल्दी पाउडर(सहज)**500ग्रामके 04 पैकट्स खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की । जिस पर मेरे, विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर हैं, जिसकी असल प्रति सलंग्न है। विक्रेता व गवाह के उक्त चारो 500ग्राम के 04 पैकट्स को चार गत्ते के डिब्बो में अलग–अलग डालकर चार लेबल तैयार किये गये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर **एम–1217** खाद्य पदार्थ का विवरण एंव नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक

अंकित की गई । मेने, गवाह व विक्रेता ने लेबल पर हस्ताक्षर किये । चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया । चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप **एम–1217** हस्ताक्षर युक्त डॉ. अनिल मित्तल, अभिहित अधिकारी, जोधपुर की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचें पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमूनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपडी की लगाई एक नमूनें के सिर पर एक पेदें पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुये हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवायें तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे मे किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में मैने, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये । जिस सील से नमूना **एम–1217** सील चपडी किया उसका मोनोग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया । उपरोक्त समस्त कार्यवाही मैने स्वयं गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही की असल मौका फर्द सलंग्न है

कार्यालय पंहुच कर फार्म नम्बर 6 की प्रतिया तैयार की गयी जिन पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर का पता अंकित किया गया एंव जिस सिल से नमूना सिल्ड किया गया उसका सिल इम्प्रेशन अंकित किया गया । फार्म नम्बर 6 की एक–एक प्रति प्रत्येक नमूना भाग के साथ रखकर नमूनो को पुनः आउटर कवर मे लपेट कर मोटे धागे से बान्धकर नियमानुसार सिल चपडी से सिल्ड किया गया । फार्म नम्बर 6 की दो प्रतिया अलग से एक लिफाफे मे रखकर सिल चपडी से सिल्ड किया एंव उस पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर का पता अंकित किया गया उक्त एक सिल्ड नमूना एंव सिल्ड लिफाफा स्वय के द्वारा दिनांक 16.08.2016 को खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदे प्राप्त की जो अलग–अलग असल सलंग्न है ।

**एम–1217** नमूने के द्वितीय, तृतीय भाग अभिहित अधिकारी जोधपुर को दिनांक 13.08.2016 को एंव चतुर्थ भाग दिनांक 13.08.2016 को जमा कराये गये जिनकी प्राप्ती रसीद दोनो अलग–अलग मूल सलंग्न हैं।

अभिहित अधिकारी जोधपुर के पत्र क्रमांक 18593—594 दिनांक 14.09.2016 के साथ संलग्न जांच मूल रिपोर्ट एल. एस. 886/एक्ट/2016/921 दिनांक 19.08. 2016 मुझे प्राप्त हुई, के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ **हल्दी पाउडर(सहज)** का नमूना complete address not given की वहज से Contravention of Regulation No 2.2.2(6) of food safety and standards(Packaging and Labelling) होने से **मिथ्याछाप (Misbranded)** का होना पाया गया, अग्रेषण पत्र मय रजि0 रसीद एंव मूल जांच रिर्पोट सलंग्न है ।

श्री मीठालाल जैन को उक्त खाद्य पदार्थ **हल्दी पाउडर(सहज)** की अग्रीम खरीद बाबत् बिल पेश करने हेतु रजि0 पत्र संख्या 39 दिनांक 17.11.2016 लिखा गया जो मय रजि0 रसीद संलग्न परिवाद है ।

श्री मीठालाल जैन ने उक्त खाद्य पदार्थ **हल्दी पाउडर(सहज)** की अग्रीम खरीद बाबत् मैसर्स महावीर मार्केटिंग जोधपुर का इनवोईस 1494 एंव स्वय का पहचान पत्र पेश किया जो संलग्न परिवाद है ।

मैसर्स महावीर मार्केटिंग जोधपुर को पत्र क्रमांक 18593—594 दिनांक 14. 09.2016 के साथ संलग्न जांच मूल रिपोर्ट एल. एस. 886/एक्ट/2016/921 दिनांक 19.08.2016 प्रेषित कर उनकी फर्म के दस्वावेज चाहे गये ।उक्त जो संलग्न परिवाद है ।

मैसर्स महावीर मार्केटिंग जोधपुर ने अपनी फर्म का एफएसएस रजि0,वेट—03 प्रमाण पत्र,फार्म बी प्रमाण पत्र,श्री राकेश कुमार जैन को पहचान पत्र,ट्रेड प्रमाण पत्र, पेश किया जो उक्त जो संलग्न परिवाद है ।

इस प्रकरण से सम्बन्धित असल मूल कागजात एंव अधिसूचनाओं की छाया प्रतियॉ वास्ते अभियोजन स्वीकृति हेतु जिला अभिहित अधिकारी, जोधपुर को प्रस्तुत किये जिसकी प्रति सलंग्न है ।

श्रीमान् अभिहित अधिकारी जोधपुर ने समस्त कागजातों का अवलोकन एवं अध्ययन किया एंव न्यायनिर्णयन स्वीकृत क्रमांक—एफएसएसए/2017/स्वीकृतिएम—1217/ दिनांक को जारी की एंव मुझें प्राधिकृत कर आदेश दिये कि प्रकरण को न्यायनिर्णयन आवेदन न्याय निर्णयन अधिकारी एंव सम्बन्धित अतिरिक्त जिला

मजिस्ट्रेट, जोधपुर के समक्ष पेश करें। इसलिये मैं संदीप अग्रवाल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी आपके समक्ष प्रस्तुत होकर निवेदन करता हूँ कि –

1.श्री मीठालाल जैन पुत्र श्री पुखराज जैन उम्र 50 वर्ष (एफबीओ/मालिक)
फर्म–मैसर्स–छोगालाल पन्नालाल जैन, मैन बस स्टेण्ड, यूको बैंक के पास, गांव आगोलाई, तह0 बालेसर जिला जोधपुर । निवासी– जैन मोहल्ला, आगोलाई तह0 बालेसर जिला जोधपुर ।

2.श्री राकेश कुमार जैन पुत्र श्री केवल चन्द जैन(निर्माता/मालिक)
फर्म–मैसर्स– महावीर मार्केटिंग, 309, प्रथम तल, लक्ष्मी नगर, पावटा बी रोड, राजकीय स्कूल के पास, जोधपुर । निवासी–309,लक्ष्मी नगर, पावटा बी रोड, राजकीय स्कूल के पास, जोधपुर ।

**ने मिथ्याछाप (Misbranded) हल्दी पाउडर (सहज) खाद्य पदार्थ का निर्माण/भण्डारण/विक्रय कर एफ. एस. एस. एक्ट की धारा 26 की उपधारा (2) (ii) का उल्लघंन किया है जो की धारा 52 के अर्न्तगत जुर्माने योग्य अपराध है ।
अतः निवेदन है कि बाद तहकीकात अभियुक्तगण को जुर्माना करने की कृपा करे ताकि मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ के निर्माण एवं विक्रय को रोका जा सकें ।**

अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के अभिभाषक ने अपनी बहास में कथन किया कि परिवाद के पद संख्या 9 गलत होने से स्वीकार नहीं है। अप्रार्थीगण फुड्स सैफ्टी एण्ड स्टेण्टर्ड (पैकेजिंग एवं लेबलिंग) के रेगुलेशन नं 2.2.2 (6) का किसी भी तहह का उल्लघंन नहीं किया है। पैकेट पर पूर्ण रूप से पत्ता सहीं अंकित था। जैसा कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जो नमूना सहज हल्दी का लिया उसके फार्म संख्या 5 ए में निर्माता का नाम व पत्ता स्पष्ट रूप से अंकित था और परिवादी की ओर जो भी पत्र व्यवहार हुआ उसमें भी उक्त पत्ता अंकित था और इसी पत्ते के मार्फत अप्रार्थी संख्या 2 को दस्तावेज प्राप्त हुए। इस प्रकार अप्रार्थीगण कोई भी नियम का उल्लघंन नहीं किया।

हमनें प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी  कार्यालय मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर राजस्थान द्वारा प्रेषित परिवाद का अध्ययन किया। प्रार्थी द्वारा दिनांक 13.08.2016 को अप्रार्थी संख्या 1 के फर्म मैसर्स छोगालाल पन्नालाल जैन मैन बस स्टेण्ड यूकों बैंक के पास, गांव आगोलाई तहसील बालेसर की फर्म की जॉच करने पर उक्त फर्म से हल्दी पाउडर (सहज) 500 ग्राम के 16 पैकेट्स आम जनता हेतु विक्रय हेतु रखे हुए थे। उनमें से 4 पैकेट्स खरीद कर उसकी जॉच नमूना एम.1217 लेबोट्ररी भेजा गया।

पब्लिक हैल्थ लेबोट्ररी जोधपुर राजस्थान के पत्रांक–रिपोर्ट/एल.एस./886/एक्ट/2016/921 दिनांक 19.08.2016 के अनुसार हल्दी पाउडर (सहज) का नमूना complete address not given की वहज से  Contravention of Regulation No. 2.2.2 (6) of  Food Safety and Standards (Packaging and Labelling  होने से मिथ्या छाप (misbranded) का होना पाया गया।

अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के अभिभाषक द्वारा जो लिखित में जवाब पेश किया है वह मिथ्याछाप बाबत् किसी प्रकार का संतोषप्रद जवाब नहीं दिया।

अतः उपरोक्त तथ्य को मद्वेनजर रखते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मिथ्या छाप (misbranded) हल्दी पाउडर (सहज) खाद्य प्रदार्थ का निर्माण/भण्डारण/विक्रय कर एफ.एस. एक्ट की धारा 26 की उप धारा  (2) (ii) का उल्लघंन किया है जो धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने योग्य अपराध है।

अतः अप्रार्थी संख्या 1 श्री मीठालाल जैन पुत्र पुखराज जैन, निवासी आगोलाई तहसील बालेसर पर एफ.एस. एक्ट की धारा 52 के तहत रूपये 10,000/–(अक्षरे दस हजार) एवं अप्रार्थी संख्या  2 राकेश कुमार जैन पुत्र श्री केवल चन्द जैन फर्म मैसर्स महावीर मार्केटिंग 309 प्रथम तल लक्ष्मीनगर पावटा बी रोड़ राजकीय स्कूल के पास जोधपुर पर एफ.एस. एक्ट की धारा 52 के तहत रूपये 15,000/– (अक्षरे पन्द्रह हजार मात्र) जुर्माना आरोपित किया जाता है।

अप्रार्थी संख्या 1 व 2 एक माह के भीतर आरोपित राशि निर्धारित मद में जमा करवा कर चालान की प्रति न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(छगन लाल गोयल)
न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(प्रथम),जोधपुर

क्रमांकः कोर्ट/एडीएम–प्रथम/2017/ दिनांकः
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–
1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राज0, जयपुर।
3. अभिहित अधिकारी(खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।

4. श्री मीठालाल जैन पुत्र श्री पुखराज जैन उम्र 50 वर्ष (**एफबीओ/मालिक**) फर्म–मैसर्स–छोगालाल पन्नालाल जैन, मैन बस स्टेण्ड, यूको बैंक के पास, गांव आगोलाई, तह0 बालेसर जिला जोधपुर । निवासी– जैन मोहल्ला, आगोलाई तह0 बालेसर जिला जोधपुर ।

5. श्री राकेश कुमार जैन पुत्र श्री केवल चन्द जैन(**निर्माता/मालिक**) फर्म–मैसर्स– महावीर मार्केटिंग, 309, प्रथम तल, लक्ष्मी नगर, पावटा बी रोड, राजकीय स्कूल के पास, जोधपुर । निवासी–309,लक्ष्मी नगर, पावटा बी रोड, राजकीय स्कूल के पास, जोधपुर ।

(छगन लाल गोयल)
न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(प्रथम),जोधपुर